

ग्रामीण सेवा शिविर-2025
कैम्प स्थल-

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO.- 2026/177

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी समदडी व भू.अ. समदडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार समदडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार समदडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	समदडी	640 / 454, 641 / 454	1. ओमप्रकाश पुत्र रिकबाराम 2. गणपतलाल पुत्र रिकबाराम 3. बदामीदेवी पत्नि रिकबाराम 4. सुरेश पुत्र रिकबाराम	1. ओमप्रकाश पुत्र रिखबचंद 2. गणपतलाल पुत्र रिखबचंद 3. बदामीदेवी पत्नि रिखबचंद 4. सुरेश पुत्र रिखबचंद

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- / राजस्व / ग्रा.से.शिविर / 2025 / 191
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 09.02.2026

1. तहसीलदार समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी ओमप्रकाश, गणपतलाल, सुरेश पुत्र रिखबचंद, बदामीदेवी पत्नि रिखबचंद निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)